तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8396/2016/जयपुर मनोज बनाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, झुंझुनू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.04.2021	**<u>एकलपीठ (जयपुर कैम्प)</u>** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री शिवसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी श्री हिमांशु सोगानी, अधिवक्ता अप्रार्थी **<u>निर्णय</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलेक्टर, झुझुंनु द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। दौराने निगरानी अप्रार्थी संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानी प्रार्थना पत्र के लंबित रहते प्रार्थी को एक पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2012 की प्रति प्राप्त हुई है जिससे यह ज्ञात होता है कि निगरानी के तहत वादग्रस्त भूमि के आधे हिस्से का विक्रय पत्र पक्षकारान द्वारा मूल दावा करने से पूर्व ही श्री मनफूल सिंह पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल निवासी खरीदरसर के पक्ष में निष्पादित एवं पंजीकृत कराया जा चुका है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के आधे हिस्से विक्रय कर देने के पश्चात उस हिस्से की सीमा तक प्रार्थीगण का कोई सबंध नहीं रह जाता है। अतः इस प्रकरण में श्री मनफूल सिंह पुत्र धन्नालाल जाति मेघवाल निवासी खरीदरसर एक आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है जिसे पक्षकार बनाये बिना प्रकरण का न्यायपूर्ण निस्तारण संभव नहीं है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने मनफूल को प्रकरण में पक्षकार संयोजित करने का निवेदन किया।	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8396/2016/जयपुर मनोज बनाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, झुंझुनू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र के जबाव में अभिभाषक अप्रार्थी/प्रार्थी ने अपना कथन किया कि धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा लाने के लिए प्रत्येक सहखातेदार को प्रार्थी/वादी बनाया जाकर प्रार्थना पत्र/वाद पत्र अतिक्रमी को बेदखल करने के लिए पेश किया जाना आवश्यक तत्व नहीं है। प्रार्थीगण/वादीगण का टिनेन्ट होना आवयक है। अभी तक खाता संख्या 242 में अंकित कृषि भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं हुआ अर्थात भूमि के रिकाडेर्ड खातेदार सह काश्तकार है। कानूनन प्रत्येक सहकाश्तकार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना गया है। इसलिए प्रार्थी का यह कहा जाना कि वादग्रस्त भूमि के आधे हिस्से का विक्रय कर देने के पश्चात उस हिस्से की सीमा तक निगराकार का कोई संबंध नहीं रह गया है, पूर्णतय गलत है। अविभाजित सहकाश्तकारों की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा होना व अधिनियम की धारा 183 के तहत बेदखली के वाद में प्रत्येक सह काश्तकार को पक्षकारा बनाया जाना आवश्यक नहीं है। केवल प्रार्थीगण का खातेदार काश्तकार टिनेन्ट होना आवश्यक है। मनफूल सिंह इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है इसलिए उसे प्रकरण में पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के समस्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में विवादित भूमियों का संबंधित पक्षकारों द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री मनफूल सिंह पुत्र धन्नालाल वगैरहा को बेचान किया गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमियां क्रय किये जाने के आधार पर वह विवादित भूमियों की खातेदारी में महत्वपूर्ण हित रखते है। इस स्थिति में क्रेता पक्षकार को प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु उसे इस प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित किया	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/8396/2016/जयपुर मनोज बनाम क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको, झुंझुनू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाना अत्यंत आवश्यक व न्यायोचित है। प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम निर्णय करन के लिए भी उसे पक्षकार के रूप में संयोजित हिया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार मनफूल सिंह के विवादित भूमि में हित व अधिकार निहित होने से वह एक हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में आता है। अतः उसे प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रकरण में किसी को पक्षकार बनाये जाने मात्र से ही उसके हक व अधिकार तय नहीं होते है। हक व अधिकार किसी प्रकरण में सभी पक्षों की सुनवाई के पश्चात मेरिट पर अंतिम निस्तारण के उपरांत ही तय किये जा सकते है। अतः मनफूल सिंह को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर उन्हें प्रकरण में सुना जाना विधिसम्मत व न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा मनफूल सिंह को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार संयोजित करते हुये उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधिवत रूप से निस्तारण करने हेतु प्रकरण किसी भी एकलपीठ के समक्ष दिनांक ..... को प्रस्तुत होवें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	